# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल,
आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 65 / 2014

| अपीलांट्स | बनाम | रेस्पोडेन्ट्स |
|---|---|---|
| 1.श्रीमति सुकी बेवा नारायण<br>2.भावना पुत्री नारायण(नाबालिग)<br>3.माफी पुत्री नारायण (नाबालिग)<br>अपीलांट सं.2,3 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता सुकी बेवा नारायण, जातियान् चौधरी,निवासी घाणा, तहसील आहोर,जिला जालोर | | 1.रघुनाथराम पुत्र चमनाराम<br>2.द्रोपदी पुत्री नारायण<br>3.सन्तु पुत्री नारायण<br>4.निरमा पुत्री नारायण<br>5.आणद पुत्री नारायण<br>तमाम जातियान् चौधरी, निवासी घाणा, तहसील आहोर,जिला जालोर<br>6.सचिव, भूमि विकास बैंक लि. जालोर<br>7.राज. राज्य जरिये उप तहसीलदार भाद्राजून,जिला जालोर |

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार भाद्राजून,दिनांक 18.9.2013(प्र.सं.4 / 2013)

उपस्थिति :–
1.श्री भंवरलाल सोलंकी,अभिभाषक, अपीलांट्स की ओर से।
2.अनिलकुमार,विद्वान अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2की ओर से।
3.श्री चैनाराम चौधरी,अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं. 1,3 से 5 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.7की ओर से।
4.रेस्पोडेन्ट सं.6 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 12.12.2019

1. अपीलांट्स के अनुसार अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,जोधपुर से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं.1 का प्रार्थनापत्र पेश होने पर मुकद्में को सरकार बनाम रघुनाथराम वगैराह दर्ज किया गया जो

जो दृष्टया ही गलत है इस प्रकरण में अपीलांट नं.2,3 नाबालिग है तथा अपीलांट नं.2,3 का नाबालिग का वली नही बनाया गया है और न ही सुनवाई का अवसर मिला, इस प्रकरण में द्रोपदी का नोटिस तामील नही हुआ तथा जो तामील बतायी गई है वह मिलावटी है। अपीलांट नं.1 अनपढ औरत है, अपीलांट नं.1 का जवाब तक रेकर्ड पर नही लिया गया है, न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर मिला, दिनांक 21.11.12 के पश्चात् जो आदेशिकायें चली व मनमाने तौर पर लिखी गई है लेकिन अपीलांट के गलत तरीके से अंगुष्ठ निशान करवाये गये है तथा अपीलांट का अधिवक्ता भी मौजूद नही रहे जिससे अपीलांट के साथ अन्याय हुआ है। इस प्रकरण में पक्षकारों की बहस तक नही सुनी गई , निर्णय दिनांक 18.9.13 को निर्णय नही लिखा गया, बाद में निर्णय लिखा गया है, निर्णय की तारीख की सूचना भी अपीलांट को नही दी गई है जबकि अपीलांट हर समय न्यायालय में उपस्थित हुई है लेकिन केवल उसका अंगुष्ठ निशान करवाया जाता था, दिनांक 15.3.13 व 30.3.13 को अपीलांट न.1उपस्थित होने के बावजूद उसके अंगुष्ठ निशान नही करवाये गये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.9.13की नही दी गई, न ही अपीलांट के अधिवक्ता ने पैरोकारी में रूचि ली। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के बयान लेना बताया लेकिन उक्त मनमाने तौर पर अपीलांट की अनपढता को फायदा उठाते हुए लिखे गये है, अपीलांट के बयान में नारायण के हिस्से की 1/2 आराजी रेस्पोडेन्ट सं.1 के कब्जे में होना गलत लिखा है जबकि आज भी मौके पर अपीलांट्स काबिज है। अपीलांट से रेस्पोडेन्ट सं.1 रंजिस रखता है, रेस्पोडेन्ट सं.1 रघुनाथ को ऋण की आवश्यकता थी लेकिन उसने बदनियतिपूर्वक नारायण की भूमि को रहन रखा तथा नारायण को रूपये भरने पर मजबूर किया,इस दबाव में आकर नारायण की मृत्यु हो गयी। नारायण के द्वारा ऋण की अदायगी न कर सकने के कारण बैंक के अधिकारियों से मिलावट कर नारायण के हिस्से की भूमि को कागजो में मिलावट कर निलामी बता दी तथा स्वयं की अंतिम बोली बताते हुए कम राशि में इस जमीन का सैल सर्टिफिकेट हासिल कर लिया,मौके पर निलामी की कार्यवाही नही हुई बल्कि बोलिया रेस्पोडेन्ट सं.1 के मिलने वाले व्यक्तियो की बता दी तथा निलामी की कार्यवाही की जानकारी अपीलांट स.1को होने तक नही दी। नारायण का स्वर्गवास होने के पश्चात् नियमानुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं.2 लगाय 5 के हक में म्युटेशन भरा गया लेकिन म्युटेशन भरने के समय भी रेस्पोडेन्ट स.1 ने कोई आपत्ति नही की। यदि उसके पास सैल सर्टिफिकेट होता या निलामी कार्यवाही हुई

होती तो वह बैंक से दस्तावेज लाकर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करता । नारायण के स्वर्गवास के पश्चात् आज तक अपीलांट 1/2हिस्से पर काबिज है लेकिन रेस्पोडेन्ट सं.1 ने तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 11.7.12 में यह वर्णित किया है कि मौके पर उसका कब्जा है जो गलत है। नारायण की पुत्रिया निरमा,संतोष को बहला फुसला कर उनके नाम से गलत बयान मनमाने तौर से लिखवाये गये। अपीलांट का भाई किसी कारण से पटवारी के पास गया तब निर्णय की जानकारी हुई,दिनांक 30.7.14 को नकल मांगी गई जो दिनांक 1.8.10 को मिली। अपील म्याद बाहर माने जाने पर धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत् अलग से प्रार्थनापत्र पेश है। निर्णय की प्रति देखने पर स्पष्ट तौर पर दर्शित हैं कि निर्णय की तारीख को प्रतिलिपि तैयार करने के पश्चात् काट कर नई लिखी गई है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया म्युटेशन सं.843 को निरस्त करावे। अपीलांट्स ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र फहरिस्त मय निर्णय दिनांक 18.9.13की प्रति आदि की नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया, बाद सुनवाई के दिनांक 14.1.2015 को अपीलांट्स की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर में करने पर अपील सं. 49/2015, श्रीमति सूकी,वगैराह बनाम रघुनाथ वगैराह में निर्णय दिनांक 9.11.2019द्वारा अपील म्याद व गुणावगुण के आधार पर पुनः विधिसम्मत् निर्णय हेतु प्राप्त हुई जो पुनः दर्ज रजिस्टर जाकर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया व रैकार्ड तलब किया।

2. अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी है तथा न ही अधिवक्ता के द्वारा अपीलांट को निर्णय की जानकारी दी। अपीलांट का भाई किसी कारण से पटवारी के पास गया तो उसको यह बताया गया कि अपीलाधीन निर्णय हुआ है, तब दिनांक 30.7.14 को नकल मांगी जो नकल दिनांक 1.8.14 को मिली ,अपीलांट बेसहारा अनपढ औरत होने के कारण जानकारी नहीं होने से डिले कन्डोन किया जाना न्यायसंगत है, निर्णय की प्रति देखने पर यह स्पष्टतौर पर दर्शित हैं कि निर्णय की तारीख को प्रतिलिपि तैयार करने के पश्चात् काट छाट कर नयी लिखी गई है जिसका सीधा तात्पर्य यही हैं कि निर्णय पर तारीख नही थी तथा बाद में तारीख लिखी गई है। अतः देरी को कन्डोन करते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार करावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1,3 से 5 के वकील ने दिनांक 18.11.14 को जवाब मय शपथपत्र पेश किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट रधुनाथा के प्रार्थनापत्र मय रजिस्टर्ड सैल डीड पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार भाद्राजून ने विधिवत् जांच व सुनवाई का नोटिस एवं अवसर दिये जाने के बाद प्रोपर तामील करवाने के बाद अपीलांट व उसकी पुत्रिया सन्तु,निरमा व आनन्द दिनांक 30.10.12,21.11.12, 6.12.12,17.1.13,8.1.13, 11.2.13 को हर पेशी पर उपस्थित हुई तथा उनके अधिवक्ता का भी वकालतनामा पेश किया, सबूत भी पेश किए फिर भी अपीलांट का यह कहना हैं कि उक्त कार्यवाही के निर्णय की जानकारी उसके भाई पटवारी के पास जाने पर बताया ,तब 30.7.14 को नकल मांगी व 1.8.2014 को मिली और फिर अपील जानकारी की तिथी से अन्दर म्याद पेश करना झूठा व अविश्वसनीय बताया है, अपीलांट को अपील की जानकारी होने के बावजूद भी अपील म्याद बाहर पेश की है जो किसी भी सूरत में डिले कण्डोन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि उनकी पुत्री भावना भी दिनांक 21.11.2012 व 6.12.2012 को उपस्थित थी। दिनांक 17.1.2012 को अपीलांट के बयान व उसकी पुत्रियों सन्तु उर्फ संतोष व निरमा जो बालिग है, के बयान लिये है व रेस्पोडेन्ट के भी बयान लिए है, इन बयानों के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट के भाई से पटवारी द्वारा कहने पर मालूम होना बताया है लेकिन उसके भाई का कोई शपथपत्र पेश नहीं किया,अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के अपील सं. 1/2010 आदेश दिनांक 28.9.2010 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड सैल डीड के आधार पर सुनवाई का विधिवत् अवसर देने के बाद पारित किया है, जब तक सैल डीड न्यायालय से निरस्त नही करवाया जाता तब तक उक्त म्युटेशन निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज करावे।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र पर व अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र में व अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में बताया तथा अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर तहसीलदार आहोर का निर्णय दिनांक 18.9.13 निरस्त करने का निवेदन किया। अपीलांट्स वकील ने धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 ,विलम्ब का शमन बाबत् नजीर आर आर टी 2013(2)पेज 878—881 पेश की,इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं. 1,3से 5 के वकील ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व अपीलांट्स की अपील खारिज करने

का निवेदन किया।रेस्पोडेन्ट सं.1,3से 5 के वकील ने म्याद बाहर अपील खारिज करने के समर्थन में आर आर टी 2018(2)पेज1552—1555 की नजीर पेश की।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। यह सुस्थापित विधि हैं कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित डिक्री व आदेश शून्य होता है, इस प्रकरण में अपीलांट के पिता नारायणराम पुत्र चमनाजी चौधरी निवासी घाणा की मृत्यु दिनांक 2.2.2006 को हो चुकी थी, अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भाद्राजून की पत्रावली में सचिव,जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जालोर की भूमि निलामी पत्रावली की आदेशिका की फोटो प्रमाणित प्रति अनुसार सचिव द्वारा डिमान्ड नोटिस नारायण पुत्र चिमना के विरूद्ध 25.4.06 तथा नोटिस 3.8.06 तथा निष्पादन आदेश 25.10.06 को जारी किया गया तथा 15.1.07 को उक्त भूमि की नीलामी कार्यवाही की गयी ।

उपरोक्तानुसार जब श्री नारायणराम पुत्र चमनाजी चौघरी की मृत्यु दिनांक 2.2.2006 को हो गई थी तो दिनांक 30.8.06 को उक्त मृत व्यक्ति की भूमि मौजा घाणा के खसरा नम्बर 1073 रकबा1.72 हेक्टर के 1/2हिस्से की निलामी,दिनांक 15.1.07 को की गई है जो विधि विरूद्ध है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध न तो कोई डिक्री आदेश जारी हो सकता है, न ही निलामी कार्यवाही। अतः उक्त कार्यवाही शून्य है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 1,3से 5 के वकील द्वारा प्रस्तुत नजीरे इसमें लागू नहीं होती है। अतः उप तहसीलदार भाद्राजून का आदेश दिनांक 18.9.13 निरस्त योग्य है।

आदेश

अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर, उप तहसीलदार भाद्राजून का आदेश दिनांक 18.9.2013(मु.नं. 4/13) निरस्त किया जाता है।पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

( छगनलाल गोयल )
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर



Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2020.01.01 16:17:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: